बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

संख्या–5/न0वि0 (गठन)–37/16 567 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा–3 सह पठित धारा–4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का प्रारूप, जिसे वह निर्गत करना चाहते हैं, उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाय।

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रण्डलीय आयुक्त के माध्यम से जो भी आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम के धारा–5 के अधीन विचार किया जायेगा।

प्रारूप आदेश

संख्या–5/न0वि0 (गठन)–37/16 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा–3 की उपधारा (1) (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल घोषित करते हैं कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पटना जिला के पालीगंज अनुमण्डल के निम्नलिखित ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिनकी चौहद्दी नीचे दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करना तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू करना आवश्यक है:–

1. **ग्रामों के नाम एवं थाना नं0**

(क)	ग्राम का नाम		थाना सं0
	1. रामपुर नगवाँ		352
	2. अख्तियारपुर डीहपाली	(वार्ड 3,4,5)	322
	3. धरहरा		316
	4. निरखपुर–पाली		319
	5. खपुरा		321
	6. मिल्की		317
	7. दरियापुर अनन्त		318

(ख) चौहद्दी		ग्राम का नाम	थाना सं0
	उत्तर	इजरता, अछुआ	314, अंचल दुल्हिन बाजार क्षेत्र
	दक्षिण	तोरणी, सदुरा	351, 342
	पूरब	बालीपांकड़, मखमीलपुर, कालोपुर	287, 285,320
	पश्चिम	कुरकुरी, अख्तियारपुर, फतेपुर	323, 322, 310

इस क्षेत्र को नगर पंचायत, पालीगंज कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
27/1/2018
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5/न0वि0 (गठन)–37/16 567 /न0वि0एवं.आ0वि0 /पटना, दिनांक– 27/01/17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करावेंगे।

27/1/2017
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

D:\Ranjan, 2017\Ranvi\Notification of Paliganj.doc

ज्ञापांक–5/न0वि0 (गठन)–37/16 567 /न0वि0एवं.आ0वि0 /पटना, दिनांक–27/01/17

प्रतिलिपिः–सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी /महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एव आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/1/2017

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5/न0वि0 (गठन)–37/16 567 /न0वि0एवं.आ0वि0 /पटना, दिनांक–27/01/17

प्रतिलिपिः–सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/1/2017

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

संख्या–5/न0वि0 (गठन)–37/16 567 अधिसूचना संख्या– दिनांक-27/01/17 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

Government of Bihar
Urban Development and Housing Department
Notification

Memo No-5/N VI (Gath-)-37/16 568 In exercise of the powers conferred by section 3 read with section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar desires to publish the following draft order, which is published for the information of the persons who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft would be considered within a month from the publication of this notification.

Objections/Suggestions received through the concerned District Magistrates/Divisional Commissioner during the draft publication will be considered under section-5 of the said Act.

Draft Order

Memo No-5/N VI (Gath-)-37/16 / In exercise of powers conferred by sub section (1) (c)of Secion-3 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar declares that for the purpose of the said Act, it is necessary to make an administrative provisions and to enforce the provisions of the said Act in the following areas falling under Paliganj Sub-division of the District of Patna whose boundary are noted below:-

1 Name of villages and Thana Nos

(a)

Name of Village	Thana No.
1. Rampur Nagwan	352
2. Akhtiyarpur Dihpali (Ward 3,4,5)	322
3. Dharhara	316
4. Nirakhpur-Pali	319
5. Khapura	321
6. Milki	317
7. Dariyapur Anant	318

(b)

Boundary:-	Name of Village	Thana No
North-	Ijarata, Acchua	314 Anchal Dulhin Bazar Area
South-	Torni, Sadura	351, 342
East-	Balipakar, Makhmeelpur, Kalopur	287,285, 320
West-	Kurkuri, Akhtiyarpur, Phatehpur	323,322,310

This area will be called Nagar Panchayat, Paliganj.

2. This notification shall come to force at once.

By the order of the Governor of Bihar

(Chaitanya Prasad) 27/1/2017
Principal Secretary
Urban Development and Housing Department.

D:\Ranjan, 2017\Ranvi\Notification of Paliganj.doc

Memo No-5/N VI (Gath-)-37/16 568 UD&HD Dated:- 27/01/17

Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department.

27/1/2017

(Chaitanya Prasad)
Principal Secretary
Urban Development and Housing Department.

. Memo No-5/N VI (Gath-)-37/16 568 UD&HD Dated:- 27/01/17

Copy to All Departmental Heads/All Divisional Commissioner/ All District Magistrates/ Accountant General Bihar, Patna/ Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer Patna/ Private Secretary to the honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister Urban Development and Housing Department/Secretary to Principal Secretary, Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

27/1/2017

(Chaitanya Prasad)
Principal Secretary
Urban Development and Housing Department.

Memo No-5/N VI (Gath-)-37/16 568 UD&HD Dated:- 27/01/17

Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Son Bhawan, Patna for information and necessary action.

27/1/2017

(Chaitanya Prasad)
Principal Secretary
Urban Development and Housing Department.

D:\Ranjan, 2017\Ranvi\Notification of Paliganj.doc